2025:CGHC:18836

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (227) क्रमांक 375/2025

1. श्रीमती नसीमा अली पति स्व. श्री नौशाद अली, आयु लगभग 33 वर्ष, व्यवसाय – गृहणी, निवासी मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

2. अदीब अली पिता स्व. श्री नौशाद अली, आयु लगभग 13 वर्ष, अवयस्क द्वाराःमाता व प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती नसीमा अली, निवासी – मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

3. कु. अलिश्बा अली पिता स्व. श्री नौशाद अली, आयु लगभग 9 वर्ष, अवयस्क द्वाराः माता व प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती नसीमा अली, निवासी मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

...याचिकाकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

1. श्रीमती सकीला परवीन पति हबीब उल्ला मियां, पिता रज्जब अली आयु लगभग 31 वर्ष जाति – मुसलमान, निवासी– मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ

2. मुस. सबनूर अली पिता रज्जब अली आयु लगभग 28 वर्ष जाति – मुसलमान, निवासी– मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

3. मुस. नजमा अली पिता रज्जब अली, आयु लगभग 27 वर्ष, जाति– मुसलमान, निवासी– मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

4. श्रीमती सलमा खातून पति रज्जब अली आयु लगभग 52 वर्ष निवासी– मकान नं. 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

5. रज्जब अली पिता नूर मोहम्मद आयु लगभग 70 वर्ष व्यवसाय – सेवानिवृत्त सेवक, निवासी– मकान क्रमांक 46, खनिज नगर, पुरैना, तेलीबांधा, रायपुर शहर, तहसील एवं जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

...उत्तरवादीगण

याचिकाकर्तागण की ओर से	:	श्री पवन श्रीवास्तव, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश मोहन पाण्डेय

बोर्ड पर निर्णय

25–04–2025

1) इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण/वादीगण ने सिविल वाद क्रमांक 42–क/2019 दिनांक 09.04.2025 को विद्वान ग्यारहवें जिला न्यायाधीश, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके अधीन वादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन स्थगन की मांग करते हुए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है और वादीगण के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।

2) वर्तमान प्रकरण के तथ्य यह हैं कि:–

(i) वादीगण ने स्वत्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्य बातों के साथ–साथ इस आधार पर वाद प्रस्तुत किया कि रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 45, खनिज नगर, तेलीबांधा, तहसील एवं जिला– रायपुर (छ.ग.) में स्थित प्लॉट क्रमांक 46, 1500 वर्ग फीट के क्षेत्रफल वाला वाद–गृह 03.03.1994 को पंजीकृत विक्रय–विलेख द्वारा क्रय किया गया था और प्रतिफल का संदाय उसके पति द्वारा किया गया था। वर्ष 2005 में वादिनी क्रमांक 1 का विवाह उत्तरवादी क्रमांक 4 और 5 के पुत्र नौशाद अली से हुई थी। नौशाद अली ने बजाज फिनकॉर्प से 5 लाख रुपए का ऋण लिया और एक मकान बनाया, जहां वादिनी क्रमांक 1 रह रही है। नौशाद अली की मृत्यु के बाद प्रतिवादी क्रमांक 5 ने प्रतिवादी क्रमांक 4 के पक्ष में एक दान–विलेख निष्पादित किया। वादीगण ने उक्त दान–विलेख को चुनौती देते हुए एक सिविल वाद प्रस्तुत किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ii) प्रतिवादीगण ने अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया और वाद में दिए गए कथनों से इनकार किया। वादिनी क्रमांक 1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अधीन अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया परंतु उसका परीक्षण पूर्ण नहीं हो सका और प्रकरण को दिनांक 09.04.2025 को शेष प्रतिपरीक्षण के लिए निर्धारित किया गया था। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन एक आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि वह एक दाण्डिक प्रकरण में एक अन्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित थी।

(iii) विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.04.2025 के आदेश के अधीन अभिनिर्धारित किया कि प्रकरण वादी के साक्ष्य के लिए दिनांक 24.12.2021 को तय किया गया था और आज तक, यह पूर्ण नहीं हुआ है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादीगण विभिन्न तिथियों पर स्थगन ले चुके हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने उन

विशिष्ट तिथियों का उल्लेख किया जब वादीगण ने स्थगन लिया था जो हैं – 25.01.2023, 30.01.2024, 20.02.2024, 18.03.2024, 21.10.2024, 13.12.2024, 06.01.2025 और 28.03.2025। विद्वान विचारण न्यायालय ने स्थगन की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया और वादीगण के साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार को भी समाप्त कर दिया और प्रकरण को प्रतिवादीगण के साक्षियों के लिए निर्धारित किया गया।

3) याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 09.04.2025 को वादिनी क्रमांक 1 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफटीसी, रायपुर (छ.ग.) के समक्ष भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अधीन प्रस्तुत जमानत आवेदन में आपत्तिकर्ता के रूप में उपस्थित हुई, इसलिए वह प्रतिपरीक्षण के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और अन्य वादी–साक्षीगण भी उपस्थित नहीं थे। आगे उनका तर्क है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि उसे एक दाण्डिक प्रकरण में उपस्थित होना था और विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदन को स्वीकृति दी जानी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) श्री श्रीवास्तव को विस्तारपूर्वक सुना और दस्तावेजों का परिशीलन किया।

5) सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 17 नियम 1 निम्नानुसार है:–

<u>1. न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा–</u>

यदि वाद के किसी प्रक्रम में पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय–समय पर स्थगित कर सकेगाः

परंतु ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा ।

प्रावधान के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि यह प्रावधान न्यायालय को पक्षकारों को समय देने और सुनवाई स्थगित करने का अधिकार देता है परंतु पर्याप्त हेतुक दर्शाये जाएं। यह नियम किसी भी प्रक्रम में स्थगन की अनुमति देता है और न्यायालय को स्थगन के कारणों को लेखबद्ध करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि, यह किसी पक्षकार को वाद की सुनवाई के दौरान अधिकतम तीन स्थगन तक सीमित करता है।

6) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के विषय में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:–

(i) यदि पर्याप्त हेतुक दर्शाया गया हो तो न्यायालय पक्षकारों को समय दे सकेगा;

(ii) स्थगन देने के कारणों को लेखबद्ध किया जाना चाहिए;

(iii) वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को अधिकतम तीन स्थगन की अनुमति है।

7) यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि त्वरित सुनवाई एक वादी का विधिक अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अनिता कुशवाह विरुद्ध पुष्प सुदन 2016 (8) एससीसी 509** में प्रकाशित प्रकरण में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल देते हुए सुसंगत रुप से अवधारित किया है:–

> "न्याय तक पहुँच संवैधानिक मूल्य के रूप में एक भ्रम मात्र होगी; यदि न्याय त्वरित न हो। जैसा कि प्रसिद्ध कहावत है, न्याय में विलम्ब,न्याय से वंचित होने के समान है। यदि न्याय प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी समय लेने वाली, श्रमसाध्य, अकर्मण्य और न्याय की इच्छा रखने वालों के लिए इतनी निराशाजनक है कि यह उस प्रक्रिया का सहारा लेने के विकल्प पर विचार करने से भी रोकती है, तो यह न केवल न्याय तक पहुँच से वंचित करने के समान होगा, बल्कि न्याय से भी वंचित करने के समान होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसी प्रकार,माननीय उच्चतम न्यायालय ने **नूर मोहम्मद विरुद्ध जेठानंद 2013 (5) एससीसी 202** में प्रकाशित प्रकरण में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:–

> "समय पर न्याय मिलने से आस्था बनी रहती है और स्थायी स्थिरता स्थापित होती है। त्वरित न्याय तक पहुँच को मानव अधिकार माना जाता है जो लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा में गहराई से निहित है और ऐसा अधिकार न केवल विधि द्वारा निर्मित है बल्कि एक नैसर्गिक अधिकार भी है।"
>
> विधि का उपर्युक्त प्रतिपादन इस प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतया लागू होता है।

8) वर्तमान प्रकरण में वादीगण द्वारा दिनाँक 03.08.2019 को वाद प्रस्तुत किया गया था। आक्षेपित आदेश से स्पष्ट है कि वादीगण के साक्ष्य के लिए प्रकरण दिनाँक 24.12.2021 को निर्धारित किया गया था। वादिनी क्रमांक 1 ने दिनाँक 25.01.2023, 30.01.2024, 20.02.2024, 18.03.2024, 21.10.2024, 13.12.2024, 06.01.2025 और 28.03.2025 को स्थगन लिया। वादी के साक्षियों

की प्रतिपरीक्षण के लिए दिनाँक 09.04.2025 को प्रकरण तय किया गया था, परंतु वादिनी क्रमांक 1 ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन पुनः एक आवेदन प्रस्तुत किया, अन्य बातों के साथ–साथ इस आधार पर कि उसे जमानत आवेदन में आपत्ति उठानी थी। आवेदन के विषयवस्तु से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि वादिनी क्रमांक 1 न्यायालय परिसर में उपस्थित थी, परंतु प्रतिपरीक्षण हेतु विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने में असफल रही।

9) न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए क्योंकि त्वरित न्याय मानव अधिकार का हिस्सा है। समय पर न्याय मिलना मानव अधिकार का हिस्सा है और त्वरित न्याय से इनकार करना न्याय प्रशासन में नागरिकों के विश्वास के लिए संकट है।

10) इस प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वादीगण अपने सिविल वाद को आगे बढ़ाने में सतर्क नहीं थे। वादीगण को चार वर्षों की अवधि में 10 अवसर प्रदान किए गए थे, परंतु वे स्वयं का प्रतिपरीक्षण कराने हेतु प्रस्तुत होने में असफल रहे, अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 1 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को उचित रूप से खारिज किया तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उनके अधिकार को समाप्त किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) फलस्वरूप, यह याचिका **खारिज** की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(राकेश मोहन पाण्डेय)

न्यायाधीश

WP227 No. 375 of 2025

Head Note

Order 17 Rule 1 CPC – Speedy justice, timely justice and timely delivery of justice are legal rights of a litigant. Courts can grant time and adjourn the hearing of a case if sufficient cause is shown but it is limited to a maximum of three times .

आदेश 17 नियम 1 सी.पी.सी.– त्वरित न्याय, समय पर न्याय और न्याय का समय पर प्रदान किया जाना पक्षकार का विधिक अधिकार है। यदि पयप्ति कारण दर्शित किए जाएं तो न्यायालय समय प्रदान कर सकता है और मामले की सुनवाई स्थगित कर सकता है, परंतु यह अधिकतम तीन बार तक ही सीमित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**